भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4421

गुरूवार, 2 अप्रैल, 2026 / 12 चैत्र, 1948 (शक)

कृषि श्रमिकों की मजदूरी

4421. श्रीमती ममता ठाकुरः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रति कृषि परिवार पर बकाया ऋण का राष्ट्रीय औसत ₹74,000 से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एक कृषि मजदूर की मजदूरी मात्र ₹363 प्रतिदिन है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आयोजित "कृषि परिवारों के स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि का अनुमान लगाया गया है। नवीनतम एसएएस के अनुसार, कृषि वर्ष जुलाई, 2018 - जून, 2019 के दौरान प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार औसत राशि **अनुबंध में** दी गई है।

उपर्युक्त अध्ययन के अनुसार, विभिन्न स्रोतों से प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय लगभग 10,218/- रुपये प्रति माह होने का अनुमान है।

वेतन संहिता, 2019 केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों को, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों के लिए, समुचित सरकार के रूप में मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित करने, उनकी समीक्षा करने तथा संशोधित करने का अधिकार प्रदान करती है। तथापि, राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी दरों से संबंधित ऐसे आंकड़ों का रख-रखाव केंद्रीय स्तर पर नहीं किया जाता है।

केंद्र सरकार मुद्रास्फीति को संतुलित करने के लिए औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दिनांक 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से प्रभावी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) को हर छः माह में संशोधित करती है। दिनांक 01.4.2026 से प्रभावी नवीनतम वीडीए ऑर्डर https://clc.gov.in/clc/sites/default/files/mygov_17748804861.pdf पर उपलब्ध है।

सीएलसी (केंद्रीय) के कार्यालय द्वारा दिनांक 30.03.2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, क्षेत्र-ग के लिए कृषि (अकुशल) में कार्यरत कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर (वीडीए सहित) 478/- रुपये प्रति दिन है।

* *****

अनुबध

"कृषि श्रमिकों की मजदूरी" के संबंध में श्रीमती ममता ठाकुर द्वारा दिनांक 02.04.2026 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4421 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबध।

क्र.सं.	पूर्वोत्तर राज्य/समूह संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य/समूह	प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि (रु. में)
1	आंध्रप्रदेश	2,45,554
2	अरुणाचल प्रदेश	3,581
3	असम	16,407
4	बिहार	23,534
5	छत्तीसगढ	21,443
6	गुजरात	56,568
7	हरियाणा	1,82,922
8	हिमाचलप्रदेश	85,825
9	जम्मू एवं कश्मीर	30,435
10	झारखंड	8,415
11	कर्नाटक	1,26,240
12	केरल	2,42,482
13	मध्य प्रदेश	74,420
14	महाराष्ट्र	82,085
15	मणिपुर	5,551
16	मेघालय	2,237
17	मिजोरम	23,485
18	नागालैंड	1,750
19	ओडिशा	32,721
20	पंजाब	2,03,249
21	राजस्थान	1,13,865
22	सिक्किम	32,185
23	तमिलनाडु	1,06,553
24	तेलंगाना	1,52,113
25	त्रिपुरा	23,944
26	उत्तराखंड	48,338
27	उत्तर प्रदेश	51,107
28	पश्चिम बंगाल	26,452
	पूर्वोत्तर राज्य/समूह	**10,034**
	संघ राज्यक्षेत्रों के राज्य/समूह	**25,629**
	संपूर्ण भारत	**74,121**

स्रोत: एनएसएस रिपोर्ट संख्या 587: ग्रामीण भारत में कृषि परिवारों की स्थिति का आकलन और परिवारों की भूमि एवं पशुधन जोत का आकलन, 2019
